<u>ŒéíÂìÑ¹ìÅ Ðììíªìš Ãì ŒéÅ, „त्तर प्रदेश</u>

„ºìíØ¯ì«ì — **ÔðÂì«ìð Øìì¸ì¹ìì í®ìºìì¤ð, ‡¦ðÑì¹ìÌì ŒéíÂìÑ¹ìÅ, ”É¦-2, Ðììíªìš Ãì ŒéÅ, „त्तर प्रदेश ।**

ºÉì¯ìð — **सर्वश्री ओम फीलिंग स्टेशन, महराजगंज, रायबरेली रोड, रायबरेली ç**

ºÉì¯ì¹ìì ºì®ì Øì ‘Ãìì Ðì í°¹ììŒé — **19 / 13, 25.04.2013**

प्रार्थी की ओर से — **श्री राम आसरे वर्मा, विद्वान अधिवक्ता ।**

<u>„त्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री ओम फीलिंग स्टेशन, महराजगंज, रायबरेली रोड, रायबरेली द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निम्न प्रश्न निर्णीत करने का अनुरोध íŒéÃìì ”ìÃìì ü-

`` šì¡Åì»éì (Jatropha) ºì¦ Øì í¹ìíÂì«ì ÀììÃìì¦ðšìÌì Ú, íšìØ पर बायो गैस की भाँति उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत करमुक्ति होनी चाहिए '' ।

2. ‡¦ðÑì¹ìÌì ŒéíÂìÑ¹ìÅ, ”É¦-1, Ðììíªìš Ãì ŒéÅ, Ìì ‘ì¹ì… šìì¹ì-ºÉ¯ìÂì, Ìì ‘ì¹ì… Œé ºì®ì Øì ‘Ãìì-442, í°¹ììŒé 23.05.2013 से प्राप्त आख्या मे ÃìÚ ŒéÚì ”ìÃìì Ú íŒé ºÉì¯ìð ·ìÅì »éìÂì-38 Øì ‘Ãìì-Àìð Àìð 2913602 ·ìÅì ÐììÚ¹ì Øì ‘Ãìì- यू पी0 27 / 5373 से बायोडीजल का आयात किया जा रहा था । असिस्टेंट कमिश्नर (प्रभारी) वाणिज्य ŒéÅ, ºìðÌìðÁìð«ì ·ìÅì šìì˜ì Œéð ”ìÃìð ç ºÉì¯ìð ·ìÅì ØÐìÃì ÂììÌì Œéì ŒéÅÃìì”Ãì Âìì¹ì«ì Ú‡ »éìÂì-38 से आयात किया जा रहा था । संव्यवहार अनियमित रूप से पाये जाने के आधार पर अनुमानित मूल्य रु0 5,76,000/- ºìÅ 40% Œéð °Å Øì Ç0 2,30,400/- Œéð šìÂìì¹ì«ì šìÂìì ŒéÅìÃìð ”ìÃìð, íšìØìŒ¯ सम्बन्ध में अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु प्रार्थी को नोटिस दिनांक 27.05.2013 के लिए भेजी गई । अत: अर्थदण्ड की कार्यवाही विचारण में है, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) के प्राविधान के अनुसìÅ ºÉì¯ìð Œéì ºÉì¯ì¹ìì-ºì®ì ØÐìðŒéìÅ Ãìì”Ãì ¹ìÚð Ú ç

3. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्री राम आसरे वर्मा उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रार्थना-ºì®ì Âì „íÌÌìí‘ì«ì «ì¯Ãìì Œéì °ìÚÅì«ì Ú‡ šì¡Åì»éì ºì¦ Øì í¹ìíÂì«ì ÀììÃìì¦ðšìल को करमुक्त करने का अनुरोध किया गया है । विद्वान अधिवक्ता को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) के प्राविधानों से अवगत ŒéÅì«ì Ú‡ ºì™ì ”ìÃìì íŒé ¸ììÅì-59 (4) के अनुसार ‘‘ कोई प्रश्न जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो इस धारा के अधीन विनिश्चय के लिए ग्रहण ¹ìÚð íŒéÃìì šììÃì”ìì '' ç ‚¹ì ºÉìíÐì¸ìì¹ìì Øì Øºì×¡ Ú íŒé íšìØì ÐìØ«ì ºìÅ ŒéÅ°Ãì«ìì Œé ØìÂÀì¹¸ì Âì ºÉÑ¹ì ºì™ì šìì ÅÚì है वह प्रश्न पूर्व से ही असिस्टेंट कमिश्नर (प्रभारी) वाणिज्य कर, पीलीभीत द्वारा उक्त वस्तु के सम्बन्ध में पारित अभिग्रहण आदेश से उत्पन्न हुआ है और कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर भी अर्थदण्ड की कìÃìÐììÚð Ú«ì íÐì˜ììÅì¸ìð¹ì Ú ç ‡Øìð íØ¯ìí«ì Âì ºÉì¯ì¹ìì-पत्र ग्राह्य नहीं रह जाता है, विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सका । अन्त में प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय करने का अनुरोध किया गया ।

....2

<u>सर्वश्री ओम फीलिंग स्टेशन / प्रा0पत्र सं0-19 / 13 / ¸ìiÅì-59 / ºì×¤-2</u>

4. ºÉ्स्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की ¸ìiÅì-59 (4) के अनुसार ‘‘ कोई प्रश्न जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो इस धारा के अधीन विनिश्चय के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा ’’ । उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा íŠìØì ÐìØ«ì ºìÅ ŒéÅ°Ãì«ìì Œé ØìÂÀì¹¸ì Âì ºÉÑ¹ì ºì™ì ”ìÃìì Ú ÐìÚ ºÉÑ¹ì ºìÐì Øì Úð असिस्टेंट कमिश्नर (प्रभारी) वाणिज्य कर, पीलीभीत द्वारा पारित अभिग्रहण आदेश से उत्पन्न हुआ है तथा अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु भी विचारणीय है । ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की ¸ìiÅì-59 (4) के प्राविधान के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-ºì®ì ØÐìðŒéìÅ íŒéÃì Šìì¹ì Ãìì”Ãì ¹ìÚð Ú ç

5. ÂìÅ ·ìÅì ¸ìiÅì-59 Œé ºÉì¯ì¹ìì-ºì®ì Âì „íÌÌìí‘ì«ì «ìŒéì, ºÉØ«ì«ì ØììäÃìì, ‡¦ðÑì¹ìÌì ŒéíÂìÑ¹ìÅ ”É¦-1, Ðììíªìš Ãì ŒéÅ, Ìì‘ì¹ì… Šìì¹ì-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-ÐÃìÐìØ¯ìì Œéì ºìíÅÑìðÌì¹ì íŒéÃìì ”ìÃìì ç ºììÃìì ”ìÃìì íŒé ºÉì¯ìð ·ìÅì Šìì ºÉÑ¹ì ºì™ì ”ìÃìì Ú ÐìÚ ÐìØ«ì Œéð ŒéÅ°Ãì«ìì Øì ØìÂÀìí¹¸ì«ì Ú «ì¯ìì ºìÐì Øì Úð ,Øì अधिनियम के अधीन असिस्टेंट कमिश्नर (प्रभारी) वाणिज्य कर, पीलीभीत के समक्ष अभिग्रहण आदेश से उत्पन्न हो चुका है और वर्तमान में भी कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु विचारणीय Ú ç उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) के प्राविधान के अनुसार ‘‘ कोई प्रश्न जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो इस धारा के अधीन विनिश्चय के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा । ’’

अत: उक्त प्राविधान के आलोक मे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता Úç

6. ºÉì¯ìð Œé ·ìÅì ºÉØ«ì«ì ¸ìiÅì-59 Œé ºÉì¯ì¹ìì-ºì®ì Âì „íÌÌìí‘ì«ì ºÉÑ¹ì Œéì „त्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता Ú ç

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

í°¹ììŒé 03 Šì¹ì, 2013

Ú0 / 03.06.2013

(Øìì¸ì¹ìì í®ìºìì¤ð)

‡¦ðÑì¹ìÌì ŒéíÂìÑ¹ìÅ, ”É¦-2, Ðììíªìš Ãì ŒéÅ,

„त्तर प्रदेश, लखनऊ ।